भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0प्र0

निग/3172/I/15

प0क्र0

1/मोहरसिह पुत्र धन्नू जाति जाटव निवासी ग्राम महुअन

2/विन्नावाई पुत्री धन्नू जाति जाटव निवासी ग्राम महुअन

3/किरन पुत्री धन्नू जाति जाटव निवासी ग्राम महुअन

4/सीमा पुत्री धन्नू जाति जाटव निवासी ग्राम महुअन

5/उमेश पुत्र धन्नू जाति जाटव निवासी ग्राम महुअन

6/पूनम पुत्री धन्नू जाति जाटव निवासी ग्राम महुअन

तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म0प्र0

श्री ... द्वारा आज दि. 22.9.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 22/9/15

बनाम

1/नंदकिशोर पुत्र भगवानसिह जाति खंगार निवास गणेश कालौनी वार्डनंबर 7 मातामंदिर रोड अशोकनगर(म0प्र0)

2/पहलवान पुत्र हमीरा जाटव निवासी महुअन तहसील ईसागढ

3/कमरवाई पुत्री हमीरा जाति जाटव निवासी महुअन तहसील ईसागढ

4/वटोवाई पुत्री हमीरा जाति जाटव निवासी महुअन तहसील ईसागढ

5/हौरल पुत्र हमीरा जाति जाटव निवासी महुअन तहसील ईसागढ

6/रामकृष्ण पुत्र जगन्नाथ जाति लोधी निवासी महुअन तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर (म0प्र0)

---प्रतिनिगरानीकर्तागण

22/9/15

मोहरसिंह

उमेश

विन्नावाई

|| निगरानी ||

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के तहत

---

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय परगैना ईसागढ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 99-100 अपील/10-11 आदेश दिनांक 30/7/2015 के विरूद्ध ।
[ आदेश अपील 99-100 अपील/2010-11 ]

माननीय महोदयजी,

सेवा मे निगरानीकर्ता की और से निगरानी आवेदन सादर प्रस्तुत है-

1/ यहकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान के विरूद्ध एवं नैसर्गिग न्यायासिंद्धांत के विरूद्ध होनेसे निरस्ती योग्य है ।

2/यहकि भूमि स्थित ग्राम महुअन के सर्वेनंबर 250 रकवा 3.187हे.निगरानीकर्ता जन एवं प्रतिनिगरानी कर्ताजन 2लगायत 6संयुक्त भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य धारी कृषक है।इनसभीने सहमति पूर्वक पटवारी के द्वारा बंटवारा फर्द तैयार कराकर तहसीलदार ईसागढ द्वारा बंटवारा किया था जो आज भी स्थिर है ।

3/यहकि उपरोक्त भूमि से संबधित दो अपीले 90,100प्रचलित थी चूंकि दोनो अपीलो का बाद विंदू एक होने से दोनो को एक साथ सुने जाने का आवेदन प्रसतुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया इसी तारत्मयमे अपील की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की गई क्यो प्रस्तुत अपीलो मे अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध जो अपीले प्रस्तुत की गई है उनमे सत्यप्रतिलिपियां प्रस्तुत कीगई है और ना ही नकल अभिमुक्ति के संबध मे आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कानूनन अवैधानिक होकर अपील प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य है ।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसके बाबजूत भी अंतरिम आदेश मे अपील प्रचलन योग्य का आदेश पारित किया गया है जो निरस्ती योग्य है ।

4/यहकि अंतरिम आदेश की जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 9/9/15 को नकल आवेदन प्रस्तुत कर उसी दिन नकल प्राप्त कर ग्वालियर आने की व्यवस्था कर अंदर अवधि निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जिसे स्वीकार किया जाना उचित एवं आवश्यक है ।

अत: श्रीमानजी से निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 99,100/अपील /2013-14 आदेश दिनांक 30/7/15 को निरस्त कर प्रचलत अपीलो को इसी स्टेजं पर निरस्त किये जाने की कृपा करे तो श्रीमान की बडी कृपा होंगी ।

दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3172–एक/2015 जिला–अशोकनगर

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 12–9–16 | आवेदक अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना ईसागढ़, आशोकनगर के प्र0 क्र0 99–100/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2015 के विरूद्ध म0प्र0भू0रा0स0 की धारा 50 के अन्तगर्त यह निगरानी प्रस्तुत की है।<br>2/ आवेदक अभिभाषक को ग्रहयता के बिन्दु पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि ग्राम महुअन स्थित सर्वे नंबर 250 रकबा 3.187 है0 आवेदक एवं अनावेदक 2 लगायत 6 संयुक्त भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य धारी कृषक है। इन सभी ने सहमति पूर्वक पटवारी के द्वारा बटवारा फर्द तैयार करमाकर तहसीलदार, ईसागढ़ द्वारा बटवारा किया था जो आज भी स्थिर है । उपरोक्त भूमि से संबंधित दो अपीले 90 व 100 प्रचलित थी। चूँकि दोनों अपीलों का वाद बिन्दू एक होने से दोनों को एक साथ सुने जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया । इसी तारत्मयमें अपील की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपीलों में अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध जो अपीले प्रस्तुत की गई है उनमें सत्यप्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई है और न ही नकल | |

अभिमुक्ति के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है जो अवैधानिक होकर अपील प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य है। अंतरिम आदेश की जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 09.09.15 को नकल आवेदन प्रस्तुत कर उसी दिन नकल प्राप्त कर ग्वालियर आने की व्यवस्था कर अंदर अवधि निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है ।

3/ आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी, परगना ईसागढ़ के आदेश तथा अवलोकन करने पर मैं इस निषकर्ष पर पहुँचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी, परगना ईसागढ़ द्वारा आदेश परित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं। अनुविभागीय अधिकारी, परगना ईसागढ़ का आदेश स्थिर रखा जाता है। इसी स्तर पर प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य